

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

धनश्याम वनाम कमवेश (कर्षा)

किस्म मुकदमा ..... प्र 1043 III-128 ..... नं० 91 ..... सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्लत जज	नन्दर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
2023	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 2-6-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत लेसवा में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाठप किये गये। प्रार्थीगण का प्राठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय धृषकसे लिखा जाकर शाठप किये गया। प्रार्थीगण का उर्घना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया। पत्रावली के अन्तर्गत सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>हुक्मीचन्द्र रोहिलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 91123 प्र/पग

1- श्री दानश्याम स/ लालु कुमावत निवासी- हाजवो कारगेडा तहसील माण्डल (तंगर)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कमलेश स/ गोपाल कुमावत निवासी- हाजवो कारगेडा तहसील माण्डल (तंगर)  
(महोदय गणेश गलंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाजवो कारगेडा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 10 कुल किता 10 रकबा 1.44.16 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी भुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम हाजवो कारगेडा पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 10 कुल किता 10 रकबा 1.44.16 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आत्मगारा को 800/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023